राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–20/मस्वाका/ (सी–248)/09/225 दिनांकः– 3-3-09

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन–जयपुर/जौधपुर/उदयपुर/
भरतपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा

विषयः– म0स्वा0कार्यकर्ता/लैब टैक्नीशियन/एनआरएचएम योजना के तहत जीएनएम के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मा0 चुनाव आयोग द्वारा 15 वीं लोकसभा के लिये आम चुनाव की घोषणा दिनांक–2.3.09 को कर दी गई है, जिससे जनहित के सभी कार्यों पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है।

निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ग्रामीण लेब टैक्नीशियन एवं एनआरएचएम योजना के तहत जीएनएम को नियुक्तियां प्रदान कर, संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालयों में कार्यग्रहण किये जाने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश/ कार्यमुक्ति आदेश जारी कर, पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराया जाना है। किन्तु आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के कारण यह समस्त कार्यवाही आचार संहिता से प्रभावित हो गई है, जिसमें मा0 चुनाव आयोग से शिथिलता प्राप्त की जा रही है।

अतः आपके परिक्षेत्र के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आज ही निर्देशित करें कि उनके जिले को आवंटित उक्त संवर्गों के चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम निर्देशों तक कार्यग्रहण नहीं करावें तथा आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–ई–20/मस्वाका/ (सी–248)/09/225 दिनांकः– 3-3-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को तत्काल पालनार्थ

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।